

3. Under Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti dealing with matter of Central Ground Water Board (Member); and	3. Senior Administrative Officer, Central Ground Water Board (Member).
4. Senior Administrative Officer, Central Ground Water Board (Member).	

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with the Union Public Service commission is not necessary.

[F. No. A-12018/12/2017-GWE]

SHALINI GUPTA, Under Secy.

जनजातीय कार्य मंत्रालय
(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 118.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अनुसंधान अधिकारी की भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमों को एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसंधान अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 कहा जा सकता है।
(2) वे अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **प्रारंभिक संविधान.**—(1) मौजूदा भर्ती नियमों, अर्थात् अनुसंधान अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और गृह मंत्रालय भर्ती नियम 1985 के अंतर्गत भर्ती किए गये पदधारी और इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पहले नियमित आधार पर अनुसंधान अधिकारी का पद धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।
(2) इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पदधारियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता, पदोन्नति, स्थायीकरण के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-पद की संख्या,** इसका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ सलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट होंगे।
4. **भर्ती की विधि, आयु-सीमा और योग्यताएं, आदि-भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले** उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट होंगे।
5. **अयोग्यता**—व्यक्ति पात्र नहीं होगा, -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका जीवनसाथी जीवित है; या
(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है; उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि केन्द्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति**—जहाँ केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों से और संघलोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति**—इन नियमों में से कोई भी बात केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान अधिकारी	6* (2024) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता हो सकती है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' 'राजपत्रित', गैर-मंत्रालयी	वेतन स्तर-8 (₹.47600-151100/-).	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) महत्वपूर्ण विवरण: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत लोगों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या नृविज्ञान या सामाजिक नृविज्ञान या अनुप्रयुक्त नृविज्ञान या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) में स्नातकोत्तर उपाधि।</p> <p>वांछनीय योग्यता: सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान करने का दो वर्ष का अनुभव जिसमें डेटा का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।</p> <p>टिप्पणी: अन्यथा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।</p>	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। नोट: परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशकालिक प्रशिक्षण होगा।

भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
<p>पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा तथा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 (रु. 44900-142400) में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ अन्वेषक और विभाग द्वारा आयोजित जनजातियों से संबंधित अधिनियमों और नियमों पर दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ध्यान दें: जहां कनिष्ठों जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से कम न हो या दो साल, जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाले; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 (44900-142400/-रु.) या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किये गए ग्रेड में दो साल की सेवा; और (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो। नोट 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। नोट 2: केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो उसकी संरचना क्या है:	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया चाहिए
(12)	(13)
<p>विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:</p> <p>(i) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग — अध्यक्ष;</p> <p>(ii) अवर सचिव (स्थापना) या उप-निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित</p>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

जनजाति आयोग	– सदस्य; और	
(iii) अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	– सदस्य।	
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:		
(i) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	– अध्यक्ष;	
(ii) अवर सचिव (स्थापना) या उप-निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	– सदस्य; और	
(iii) अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	– सदस्य।	

[फा. सं. 20025/45/2022-एनसीएसटी]

धीरज चंद्र रे, उप निदेशक

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
(National Commission for Scheduled Tribes)

New Delhi, the 31st July, 2024

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer in the National Commission for Scheduled Tribes, Ministry of Tribal Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Research Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial Constitution.**—(1) The incumbents recruited under the existing recruitment rules, namely, Research Officer, the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Ministry of Home Affairs Recruitment Rules, 1985 and holding the post of Research Officer on regular basis, immediately before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of incumbents referred to in sub-rule (1) immediately before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation.

3. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** - No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post.	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer.	6* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' 'Gazetted', Non-Ministerial.	Pay level-8 (Rs. 47600-151100/-).	Selection.	Not exceeding thirty years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Crucial description: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
<p><u>Essential Qualification:</u> Masters Degree from a recognised University or Institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics).</p> <p><u>Desirable Qualification:</u> Two years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of reports.</p> <p>Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	No	Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of atleast two weeks duration for successful completion of the probation as determined by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
<p>Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract) and fifty percent by direct recruitment.</p>	<p>Promotion: Senior Investigator in Pay level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with two years of regular service and successfully completed the training on Acts and rules related to Tribals of two weeks duration conducted by the Department.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.</p> <p>Deputation (Including short-term contract): Officers of the Central Government, State Government, Union territory Administration, Universities, recognised research institutions, public sector undertakings, autonomous, or statutory organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay level 7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing educational qualification and experience as prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:</p> <p>(i) Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes – Chairman;</p> <p>(ii) Under Secretary (Establishment) or Deputy Director,</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.</p>

<p>National Commission for Scheduled Tribes –Member; and</p> <p>(iii) Under Secretary, Ministry of Tribal Affairs –Member.</p> <p><u>Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :</u></p> <p>(i) Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes – Chairman;</p> <p>(ii) Under Secretary (Establishment) or Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes –Member; and</p> <p>(iii) Under Secretary, Ministry of Tribal Affairs –Member.</p>	
--	--

[F. No. 20025/45/2022-NCST]

DHIRAJ CHANDRA RAY, Dy. Director